



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 21 सितम्बर, 2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त पूरन पुत्र शम्भू निवासी ग्राम हैदराबाद थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में थाना अगौता क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 13.06.2020 को थाना अगौता पर मुअसं-60/20 धारा 363/376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 01.08.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.09.2024 को न्यायाधीश श्री संजय कुमार यादव (मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट-1 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पूरन को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री धर्मेन्द्र सिंह राघव, श्री महेश राघव, श्री भरत शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर ।